

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/36/2009/757
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 20.9.10

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला - राजगढ़
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी/निधायक द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	सुश्री ममता मालवीय संविदा शिक्षक दर्ग-3 शा.प्रो.वि. लालपरिया, जिला राजगढ़	जा.क्र. 721 दि. 22.07.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।


संचालक द्वारा अनुमोदित


उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/36/2009/758
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक - 30.9.10

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।
- 3.


उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.